अमरिक सिंह बनाम् राजस्व मण्डल, अजमेर वगैरा।
(एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 3573/1999)

02.11.2006

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री आर.एल. अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री संजय महर्षि, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी क्रम-4 से 6.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-183 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गये वाद में प्रार्थी/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 प्रस्तुत किया था जिसमें यह प्रार्थना की थी कि विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे। सहायक जिलाधीश, केसोरायपाटन ने वादी/प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक- 13.2.1996 द्वारा निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व वादी/प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी,कोटा के समक्ष अपील प्रस्तुत की । राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने आदेश दिनांक- 10.10.1996 द्वारा वादी/प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विवादित भूमि पर तहसीलदार, केशवरायपाटन को रिसीवर नियुक्त कर दिया तथा प्रतिवादी/ प्रतिपक्षीगण को निर्देश दिया कि यदि वे 2000/-रूपये प्रति बीघा के हिसाब से राशि जमा करादें तो विवादित भूमि पर काश्त कर सकेगें। प्रतिवादी/प्रतिपक्षीगण ने उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल, अजमेर ने आदेश दिनांक- 14.1.1999 द्वारा प्रतिपक्षी/प्रतिवादीगण की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिए कि राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 10.10.1996 क्षेत्राधिकार से परे

है। वादी/ प्रार्थी ने राजस्व मण्डल, अजमेर के उक्त आदेश को इस रिट याचिका में चुनौती दी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का गहनता पूर्वक परीक्षण किया गया।

अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य अपंजीकृत इकरारनामा दो लाख रूपये का निष्पादित हुआ था , जिसके प्रतिफल स्वरूप प्रार्थी ने डेढ़ लाख रूपये राशि प्राप्त करली थी एवं प्रतिवादी/प्रतिपक्षीगण उक्त अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी को प्रतिफल की राशि भुगतान करने के उपरान्त विवादित भूमि पर काबिज थे।ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा को यह अधिकार नहीं था कि वे

प्रतिवादी/प्रतिपक्षीगण को 2000/-रूपये बीघा के हिसाब से राशि जमा कराने पर विवादित भूमि पर काश्त कर सकने के निर्देश देते। मुझे विद्वान राजस्व मण्डल के आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। इस रिट याचिका में कोई बल नहीं है।

परिणामत: यह रिट याचिका निरस्त की जाती है तथा राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक-14.1.1999 पुष्ट किया जाता है। याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)